



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
191350030027425
042193007045

जारी दिनांक: 13/05/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुष/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. मुस्कान
श्री मोहन लाल
श्रीमती गीता
देहरी गाँव हनुमान मूर्ति
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की प्रजापति जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. मुस्कान पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं सामानादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९९७ से बचा विधिपत्र सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: अमरपाल, आई-सी.एन.सी. AWANEESH

पद: अमरपाल, केन्द्र प्रभारी

स्थान :

देवापुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, Moradabad

दिनांक: 13/05/2019

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

KUMAR
SINGH

Digitally Signed by
AWANEESH KUMAR
SHRISH O'REVENUE,
DU-REVENUE, B&H

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 13/05/2019

यह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://adistrict.up.nic.in> पर हमेशा पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० दर्ज कर, प्रमाणित किया जा सकता है।